बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

कार्यालय आदेश

का०आ०सं० :– 2 अ0प्र0–4–16/2014 63 /पटना, दिनांक :– 21|12|21

श्री रामेश्वर प्रसाद राम, तदेन रोकड़पाल, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, इमामगंज के विरूद्ध कार्य प्रमंडल, इमामगंज अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2013–14 के वैधानिक अंकेक्षण में संवेदकों के भुगतान पर की गयी वैधानिक कटौतियों का ससमय संबंधित विभाग के खाते में जमा नहीं कराने के आरोप में आरोप पत्र प्रपत्र–'क' गठित कर विभागीय पत्रांक 1146 अनु० दिनांक 10.04.2015 द्वारा स्पष्टीकरण की माँग की गयी। श्री रामेश्वर प्रसाद राम द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित नहीं करने के फलस्वरूप कार्यालय आदेश संख्या–132–सह–पठित ज्ञापांक 1679 दिनांक 24.05.2016 द्वारा उन्हें निलंबित करते हुए कार्यालय आदेश संख्या–149–सह–पठित ज्ञापांक 1911 दिनांक 24.05.2016 द्वारा मुख्य अभियंता–2, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना के अधीन विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी।

2. संचालन पदाधिकारी के पत्रांक 3804 अनु० दिनांक 31.10.2016 द्वारा समर्पित जांच प्रतिवेदन के फलाफल के आधार पर समीक्षोपरान्त श्री राम को कार्यालय आदेश सं0–302 दिनांक 28.04.2017 द्वारा निलंबन से मुक्त किया गया तथा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) (संशोधन) नियमावली 2007 के नियम 14 (v) के तहत कार्यालय आदेश सं0–390 दिनांक 07.12.2017 द्वारा असंचयात्मक प्रभाव से एक वेतन वृद्धि पर रोक की शास्ति अधिरोपित की गयी।

3. श्री राम दिनांक 24.05.2016 से दिनांक 27.04.2017 तक निलंबित रहे। श्री राम के निलंबन अवधि के विनियमन हेतु बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) (संशोधन) नियमावली 2007 के नियम 11 में निहित प्रावधान के आलोक में निलंबन अवधि के विनियमन के बिन्दु पर उनका पक्ष प्राप्त करने हेतु उन्हें विभागीय पत्रांक 932 दिनांक 18.05.2020 द्वारा पत्र प्रेषित किया गया, किन्तु श्री राम द्वारा अपना पक्ष विभाग को समर्पित नहीं किया गया है।

अतः उक्त के आलोक में श्री रामेश्वर प्रसाद राम, तदेन रोकड़पाल, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, इमामगंज के निलंबन अवधि दिनांक 24.05.2016 से 27.04.2017 को इस रूप में विनियमित किया जाता है कि निलंबन अवधि में श्री राम को जीवन यापन भत्ता के अलावा अन्य कोई वेतन भत्ता आदि का लाभ नहीं मिलेगा तथा निलंबन अवधि की गणना पेंशन परियोजनार्थ की जायेगी।

(अशोक कुमार मिश्रा)
अभियंता प्रमुख

ज्ञापांक :– 2 अ0प्र0–4–16/2014 1898 /पटना, दिनांक :– 31/12/21

प्रतिलिपि :– सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग/अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग/मुख्य अभियंता–1, ग्रामीण कार्य विभाग/अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, गया/औरंगाबाद/प्रशाखा पदाधिकारी–8/11, ग्रामीण कार्य विभाग/अवर सचिव (लेखा प्रभारी), ग्रामीण कार्य विभाग/कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, इमामगंज/दाउदनगर/श्री रामेश्वर प्रसाद राम, तदेन रोकड़पाल, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, इमामगंज सम्प्रति रोकड़पाल, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, दाउदनगर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

31/12/21
अभियंता प्रमुख

ज्ञापांक :–2 अ0प्र0–4–16/2014 1898 /पटना, दिनांक :– 31/12/21

प्रतिलिपि :–जिला कोषागार पदाधिकारी, औरंगाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

31/12/21
अभियंता प्रमुख

ज्ञापांक :–2 अ0प्र0–4–16/2014 1898 /पटना, दिनांक :– 31/12/21

प्रतिलिपि :–विभागीय आई०टी० मैनेजर को विभागीय वेवसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

31/12/21
अभियंता प्रमुख